निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 64 / 2024
दायरा दिनांकः–0312.2024
निर्णय दिनांकः– 16.4.25

उनवान

1. काली बाई आयु 59 वर्ष पुत्री कवंरया उर्फ कवंरलाल पत्नि रामनाथ जाति मेघवाल निवासी मूण्डक्या हाल निवासी बल्हारपुर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 16.4.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री नारायणलाल चौरसिया– प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 एल0आर0एक्ट0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया के शामलाती खातेदारी एव कब्जे काश्त की भूमि ग्राम कूण्डी तहसील छबड़ा मे खाता संख्या 257 / 257 खसरा नम्बर 123 की रकबा 1.3024 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसमे प्रार्थीया का 1 / 5 हिस्सा है। तथा खाता संख्या 16 / 16 खसरा नम्बर 248 की रकबा 0. 2150 हैक्टयर खसरा नम्बर 251 की रकबा 0.2655 हैक्टयर कुल किता 2 कुल तादादी 0.4805 हैक्टयर भूमि ग्राम मुण्डक्या तहसील छबड़ा में स्थित है जिसमे प्रार्थीया का 1 / 40 हिस्सा दर्ज है तथा खाता संख्या 17 / 17 खसरा नम्बर 249 की रकबा 0.379 गैर मुमकिन चाह हैक्टयर भूमि ग्राम मूण्डक्या तहसील छबड़ा में स्थित है जिसमे प्रार्थीया का 1 / 80 हिस्सा दर्ज है प्रार्थीया अपने हिस्से पर कब्जा काश्त तीनो खातो मे करती आ रही है। उक्त खाते मे राजस्व कर्मचारियो ने प्रार्थीया का नाम कालीबाई के स्थान पर पार्वती दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थीया का नाम काली वाई है प्रार्थीया का समस्त आधार कार्ड वोटर आईडी जन आधार कार्ड, बैंक डायरी, समस्त दस्तावेजात मे कालीबाई का नाम दर्ज है। जब प्रार्थीया का विवाह हुआ उसके पश्चात से प्रार्थीया का नाम कालीबाई पत्नि रामनाथ चला आ रहा है। जबकि समस्त तीनो खाता संख्या हल्का पटवारी द्वारा पार्वतीबाई दर्ज कर दिया है। प्रार्थीया को जनकल्याण कारी योजनाओ व के.सी.सी.

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व मुआवजा राशि लेने में काफी परेशानी हों रही है। प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार छबड़ा को नाम शुद्धीकरण का प्रार्थना पत्र दिया तब तो हल्का पटवारी द्वारा खाता संख्या 18/18 में ग्राम मूण्डक्या मे तो प्रार्थीया का नाम पार्वती के स्थान पर कालीबाई कर दिया किन्तु हल्का पटवारी से दूसरे पटवारी के पास चार्ज चले जाने के कारण शेष खाते मे नाम सही नही हो पाया तथा वर्तमान हल्का पटवारी द्वारा बताया कि 136 एल०आर० एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश कर आदेश लाने की कहने पर वाद कारण दिनांक 15/10/2024 को उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त भूमि मे खाते मे नाम पार्वती के स्थान पर कालीबाई किया जाना न्यायहित मे है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। पैरोकार सरकार से रिपोर्ट ली गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कुण्डी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 257 नकल जमाबन्दी ग्राम मूण्डक्या सम्वत् 2077–77 खाता संख्या 16 नकल जमाबन्दी ग्राम मूण्डक्या सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 17 फोटो प्रति बैंक पास बुक फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड जन आधार कार्ड फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड नकल जमाबन्दी ग्राम मूण्डक्या सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 18 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कुण्डी व ग्राम मूण्डक्या तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का नाम शामलाती खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकार्ड जमावन्दी में प्रार्थीया का नाम काली बाई के स्थान पर पार्वती बाई दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थीया का वास्तवकि नाम काली बाई है प्रार्थीया का अन्य समस्त दस्तावेजों में काली बाई दर्ज है प्रार्थीया का विवाह हुआ उसके पश्चात् से प्रार्थीया का नाम काली बाई पत्नि रामनाथ चला आ रहा है राजस्व रिकार्ड में गलत नाम पार्वती बाई दर्ज कर दिया है प्रार्थीया को राज्य सरकार से मिलने वाले समस्त लाभ प्राप्त करने में परेशानी आ रही है प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड जमावन्दी में पार्वती बाई के स्थान पर काली बाई दर्ज किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई तहसीलदार ने रिपोर्ट में बताया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम कुण्डी की जमाबन्दी खाता संख्या 257 खाता संख्या 123 रकबा 1.3024 है में पार्वती बाई पुत्री कवंरया उर्फ कवरलाल हिस्सा 1/5 जाति मेघवाल व ग्राम मूण्डक्या की वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 16 खसरा नम्बर खसरा नम्बर 248 रकबा 0.2150 है खसरा नम्बर 251 रकबा 0.2655 किता 2 रकबा 0.4805 है व खाता संख्या 17 खसरा नम्बर 249 रकबा 0.0379 में पार्वती बाई पुत्री कंवरया जाति मेघवाल दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी के अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड में काली बाई पत्नि रामनाथ व मतदाता पहचान पत्र में काली बाई पत्नि रामनाथ एवं परिवार राशन कार्ड में काली बाई जनआधार कार्ड में भी काली बाई नाम दर्ज है उक्त नाम के सम्बन्ध में ग्राम वासियान से मौके पर जानकारी की गई उपस्थित ग्राम वासियान ने बताया कि कालीबाई पुत्री कवरंया उर्फ कवरलाल जाति मेघवाल सा0देह को पार्वती बाई के

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नाम से भी जाना जाता है ग्राम वासियान ने बताया कि काली बाई व पार्वती बाई पुत्री कवरंया उर्फ कवरलाल एक ही महिला के नाम है। उक्त दोनो नामों से जाना जाता है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कुण्डी सम्वत 2075–78 खाता संख्या 257 में पार्वती पुत्री कंवरया उर्फ कवंरलाल हिस्सा 1/5 दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम मूण्डक्या सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 16 एवं खाता संख्या 17 में पार्वती पुत्री कंवरया दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में पार्वती बाई पुत्री कवंरया उर्फ कवंरलाल दर्ज है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज बैंक पास बुक पहचान पत्र आधार कार्ड जन आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड एवं नकल जमाबन्दी ग्राम मूण्डक्या सम्वत 2074–77 खाता संख्या 18 में प्रार्थीया का नाम काली बाई पुत्री कंवरया दर्ज है प्रार्थीया का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में पार्वती बाई एवं अन्य दस्तावेज में काली बाई दर्ज है तथा तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट से यह साबित होता है कि प्रार्थीया का सही नाम काली बाई पुत्री कवरया उर्फ कवंरलाल है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कुण्डी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 123 रकबा 1.3024 है0 तथा ग्राम मूण्डक्या के खसरा नम्बर 248 रकबा 0.2150 है0 खसरा नम्बर 251 रकबा 0.2655 है0 खसरा नम्बर 249 रकबा 0.0379 है0 में दर्ज पार्वती के स्थान पर पार्वती उर्फ काली बाई पुत्री कवंरया उर्फ कंवरलाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)